03/11/25

पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उपस्थ फर्द 3 नं. पार्ट पार्टी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत डिक्री अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

डिक्री सुनाया गया।

GCMS 2023/119

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.10 11:23:06 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

जीत सिंह वगैरा बनाम भागीरथ आदि

किस्म मुकदमाः–53 आरटीए प्रकरण संख्याः–109/2023

GCMS:- 2023/119

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03.11.2025

उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1–2 की संयुक्त खातेदारी भूमि वादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 4 ता 7 के पति/पिता नीला सिंह के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1–2 के नाम से वाके चक 28 पीबीएन–ए तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 120 प0न0 36/347 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 ता 3 व वादी संख्या 4 ता 7 के पति/पिता नीलासिंह कुल 3.163 हैक्टर भूमि के मालिक व काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1–2 कुल 3.162 हैक्टर के मालिक व काबिज है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण अलग–अलग परिवार से है। मौका पर वादीगण व प्रतिवादीगण अलग–अलग काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण मौका पर वाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित रकबा पर हिस्सा अनुसार काबिज है। मौका पर अलग–अलग काश्त होने व रिकार्ड में संयुक्त खाता होने से समय–समय पर विवाद होते रहते है। संयुक्त खाता होने से सरकारी योजना का लाभ लेने में कठिनाई आती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 1–2 ने भी जवाब दावा को दोहतरो हुए निवेदन किया कि जवाब दावा की मद संख्या 3 में अंकित कब्जा अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने दावा में अपना कब्जा काश्त का खाता विभाजन चाहा है तथा प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में अंकित रकबा पर मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन चाहा है। उभय पक्ष ने कब्जा काश्त के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.जीत सिंह–नक्षत्र सिंह पिसरान इन्द्र सिंह–लाभ सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह–अमरपाल कौर पत्नी नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह–राजू सिंह व तरसेम सिंह पिसरान नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह–रणजीत कौर पुत्री नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि (जमाबंदी में अंकित हिस्सा अनुसार):–चक 28 पी.बी.एन.–ए प.नं. 36/347 (43) कि.नं. 11–12/0.506 हैक्टर, 13/0.126 हैक्टर, 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर=3.162 हैक्टर नहरी

2. महेन्द्र कुमार–रमेश कुमार पिसरान भागीरथ जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि (जमाबंदी में हिस्सा अनुसार):– चक 28 पी.बी.एन.–ए प.नं. 36/347 (43) किला नं. 7/0.18975 हैक्टर (किला नं. 8 के चिपती), किला नं. 8 ता 10/0.759 हैक्टर, किला नं. 13/0.127 (किला नं. 14 से चिपती), किला नं. 14–15 की 0.506 हैक्टर=1.582 हैक्टर नहरी

3.देवेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यनारायण [illegible] बाबा मन्दिर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की [illegible] बंदी में हिस्सा अनुसार):– चक 28 पी.बी.एन.–ए प.नं. 36/[illegible] [illegible] हैक्टर, किला नं. 7/0.063 हैक्टर (किला नं. 6 से चिपती [illegible]) [illegible] 581 हैक्टर नहरी

राजस्व रिकार्ड में इसी अनु[illegible] अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग–2 कायम हो। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.10 11:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

1. जीत सिंह
2. नक्षत्र सिंह } पिसरान इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. लाभ सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. अमरपाल कौर पत्नी नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. राजू सिंह
6. तरसेम सिंह } पिसरान नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. रणजीत कौर पुत्री नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   1/1 महेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   1/2 रमेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. सत्यनारायण पुत्र चेलाराम जाति ब्राह्मण निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़
   2/1 देवेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हरीराम बाबा मन्दिर के पास, सूरतगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र धारा–53 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 109 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिरी वकील वादी श्री अजय कुमार तथा वकील प्रतिवादी श्री रामप्रताप तिवाड़ी व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रश्नगत वादाधीन भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है।

1.<u>जीत सिंह–नक्षत्र सिंह पिसरान इन्द्र सिंह–लाभ सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह–अमरपाल कौर पत्नी नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह–राजू सिंह व तरसेम सिंह पिसरान नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह–रणजीत कौर पुत्री नीला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि (जमाबंदी में अंकित हिस्सा अनुसार)</u>:–चक 28 पी.बी.एन.–ए प.नं. 36/347 (43) कि.नं. 11–12/0.506 हैक्टर, 13/0.126 हैक्टर, 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर=3.162 हैक्टर नहरी

2.<u>महेन्द्र कुमार–रमेश कुमार पिसरान भागीरथ जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि (जमाबंदी में हिस्सा अनुसार)</u>:– चक 28 पी.बी.एन.–ए प.नं. 36/347 (43) किला नं. 7/0.18975 हैक्टर (किला नं. 8 के चिपती), किला नं. 8 ता 10/0.759 हैक्टर, किला नं. 13/0.127 (किला नं. 14 से चिपती), किला नं. 14–15 की 0.506 हैक्टर=1.582 हैक्टर नहरी

3.<u>देवेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हरीराम बाबा मन्दिर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर की भूमि (जमाबंदी में हिस्सा अनुसार)</u>:– चक 28 पी.बी.एन.–ए प.नं. 36/347 (43) के किला नं. [illegible] ता 6/1.518 हैक्टर, किला नं. 7/0.063 हैक्टर (किला नं. 6 से चिपती पूर्वी दिशा) कुल 1.581 हैक्टर नहरी

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार [illegible] का अमलदरामद किया जाकर रकम राज अलग–2 कायम हो।

नोज......x......मुबलिग...... x...बाबत...... x...... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह...... x...... फस्दों की पालना...... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया [illegible] की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.11.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.10 14:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)